17 किलो चांदी चोरी की घटना का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

अभियुक्तों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र में पूर्व में दर्जनों नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं

- पाली में तरूण ज्वैलर्स से 17 किलो चांदी चोरी की घटना का पांच दिन में पर्दाफाश कर पुलिस ने बांसवाड़ा की अन्तर्राज्यीय गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया

पाली, (निसं)। पाली में तरूण ज्वैलर्स से 17 किलो चांदी चोरी की घटना का पांच दिन के भीतर ही पर्दाफाश कर पुलिस ने बांसवाड़ा की अन्तर्राज्यीय गैंग के दो अभियुक्त गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी बरामद की। अभियुक्तों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, केरल, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र में पूर्व में दर्जनो नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 23 जून की रात्रि में पाली शहर के मुख्य बाजार सूरजपोल पर तरूण ज्वैलर्स के छत से ताले तोड़कर 17 किलो चांदी नकबजनी की वारदात को गम्भीरता से देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया।

प्रार्थी तरूण खजवानिया पुत्र सूरेशचन्द निवासी पाली ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि 24 जून को सुबह दस बजे रोजाना की तरह आकर दुकान खोली तो दुकान में सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था तथा सभी काउंटर के ड्रॉवर, दरवाजे टूटे हुये थे। जिनमें रखी चांदी गायब थी तथा दुकान के उपर जाकर देखा तो द्वितीय मंजिल पर भी ताले तोड़े हुए थे। उपर छत के रास्ते से मैन दरवाजे के ताले तोड़ अंदर घुसकर करीब 17 किलो चांदी के जेवरात चोरी कर के ले गये। इस बड़ी नकबजनी की घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरन्त मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली विपिन शर्मा आरपीएस, सहायक पुलिस अधीक्षक वृत पाली शहर उषा यादव आई.पी.एस. एवं अनिल कुमार नि.पु. थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली मय टीम ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। मौके पर एमओबी टीम को बुलाकर फुट प्रिन्ट एंव फिंगर प्रिन्ट लिये गये।

थानाधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में टीम का गठन किया जाकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को गहनता से विश्लेषण किया गया। रात के समय शहर के अन्दर आने और जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति एंव वाहन को वेरिफाई किया गया तथा करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे चैक कर घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की पहचान की गई। तत्परता दिखाते हुए टीम द्वारा दिन रात मेहनत करके बासंवाड़ा की अन्तर्राज्जीय गैंग के दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त बालेरो गाड़ी से अपने घर बासंवाड़ा से रवाना होकर देशभर में बड़े शहरों में दिन के समय में रैकी कर वारदात को अजांम देते हैं। पुलिस ने दिनेश पुत्र मनजी मईडा भील निवासी पाडला गणेशीलाल पुलिस थाना भंगड़ा जिला बासंवाड़ा, राजू पुत्र बापूलाल निनामा भील, निवासी गांव चिप पुलिस थाना भंगड़ा जिला बासंवाड़ा को गिरफ्तार किया।

जुआ खेलते सात जने गिरफ्तार, नगदी व ताश पत्ती बरामद

विराटनगर थाना पुलिस ने जुआ खेल रहे सात लोगों को गिरफ्तार किया।

पावटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस द्वारा पालड़ी ग्राम के पास जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 6860 रुपये की नगदी और 104 ताश पत्तों को बरामद किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा वर्तमान में विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली वैभव शर्मा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत के सुपरविजन एवं विराटनगर थाना प्रभारी सोहन लाल के नेतृत्व में गठित टीम उपनिरीक्षक कश्मीर सिंह, कांस्टेबल देवीलाल, कांस्टेबल कृष्ण लाल द्वारा मुखबिर की सूचना पर पालड़ी ग्राम के लिए पास जुआ खेलने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 7 अभियुक्तों हरफूल पुत्र सुगल चंद उम्र 22 साल निवासी पालड़ी, प्रहलाद पुत्र भागीरथ उम्र 59 साल निवासी पालड़ी, महेश कुमार पुत्र मन्नालाल उम्र उम्र 45 साल निवासी पालड़ी, घनश्याम पुत्र उमराव उम्र 23 साल निवासी झाड़ौदिया की ढ ाणी, शंकर लाल पुत्र रामचंद्र उम्र 35 निवासी श्यामपुरा, गजेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सहाय उम्र 30 साल निवासी पालड़ी, रोशन पुत्र लीलाराम उम्र 19 साल निवासी पालड़ी को 6860 रुपये की नगदी और 104 ताश पत्तों के साथ गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्तों के खिलाफ आरपीजीओ में मामला दर्ज किया।

अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने पर कंटेनर जब्त

कंटेनर में 33 जीवित गौवंश (बछड़े) रस्सियों से बंधे होकर भरे हुये मिले

रूपनगढ़ में पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले कंटेनर को जब्त किया।

रूपनगढ़, (निसं)। रूपनगढ़ में पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले कंटेनर को जब्त किया। वहीं चालक मौके का फायदा उठाकर भाग गया।

वंदिता राणा पुलिस अधीक्षक, अजमेर के दिशा निर्देशन व डॉ. दीपक शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण अजमेर तथा उमेश गौतम, वृताधिकारी वृत किशनगढ़ ग्रामीण के सुपरविजन में थानाधिकारी सत्यवानसिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत अवैध गौवंश के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये सिणगारा रोड़ पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी में वाहनों की चैंकिग के दौरान एक कंटेनर चालक द्वारा नाकाबंदी देख वाहन को नाकाबंदी स्थान से पूर्व ही रोककर वाहन को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेत में लगे पेड़ों में ओझल हो गया, जिसकी काफी तलाश की गई मगर नहीं मिला। कंटेनर को खोलकर देखा तो कंटेनर में 33 जीवित गौवंश (बछड़े) रस्सियों से बंधे होकर भरे हुये मिले। जिस पर अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने से वाहन को जब्त किया गया। 33 जीवित गौवंश (बछड़े) श्री माधव गोशाला सेवा समिति रूपनगढ़ में दाखिल करवाया गया। इस सम्बन्ध में मामला दर्ज किया जाकर अग्रीम अनुसंधान जारी है।

नाबालिग लड़की और युवक की लाश मिली

शव करीब सात दिन पुराने लग रहे हैं, शवों के पास पाकिस्तानी सिम और आईडी कार्ड मिले

जैसलमेर, (निसं)। जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास 15 साल की नाबालिग लड़की और युवक की लाश पड़ी मिली। शव करीब सात दिन पुराने लग रहे हैं। शवों के पास पाकिस्तानी सिम और आईडी कार्ड मिले हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लड़की और युवक पाकिस्तानी हो सकते हैं। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान तारबंदी के करीब 10-12 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा के साधेवाला इलाके में शव मिले हैं। तनोट पुलिस ने दोनों शवों को

रामगढ़ सीएचसी की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। पोस्टमॉर्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। लड़की और लड़के भारत के रहने वाले थे या पाकिस्तान के इसकी जांच की जा रही है। बॉडी के पास मिले आईडी कार्ड में युवक का नाम रवि कुमार (18) है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सिम और कार्ड के साथ मिले शवों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बल, जैसलमेर पुलिस जांच में जुटी है।

दुकान से जेवरात चोरी : उदयपुर में दुकान पर खरीददारी करने आए दो बदमाश सोने की बालियां चुरा ले गए। ललितसिंह ने डबोक पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि 26 जून को सवेरे जूनावास स्थित मेरी दुकान पर बाइक सवार दो व्यक्ति खरीददारी करने आए थे, जहां उन्होंने अंगुठी देखने के बहाने मेरा ध्यान हटाया तथा चकमा देकर मौके पर रखी 25 ग्राम सोने की बालियों का पैकेट चुरा ले गए।

उत्तराखंड हादसा : पति-पत्नी का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार

उदयपुर, (निसं)। रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) में बस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले उदयपुर के वकील और उनकी पत्नी का रविवार शाम को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या वकील शामिल हुए और उन्हें अतिम विदाई दी। भट्टजी की बाडी स्थित उनके घर से अंतिम यात्रा निकाली गई, जो अशोक नगर स्थित मोक्षधाम में पहुंची।

जानकारी के अनुसार वकील संजय सोनी (55) का शव हादसे के करीब 24 घंटे बाद घटना स्थल से करीब 7 किलोमीटर दूर मिला था। इसके बाद शनिवार को सजंय की पत्नी चेतना सोनी का शव भी घटना स्थल से 10 किमी दूर मिला, जो वाहन के जरिए उत्तराखंड से रविवार करीब 4 बजे उदयपुर पहुंचा। इसके बाद शाम करीब 6.15 बजे एक ही चिता पर दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में ड्रिमी सोनी (17) निवासी उदयपुर के पदराडा हाल सूरत की मौत हुई है। उनका अंतिम संस्कार भी पदराडा में कर दिया गया। ड्रिमी पदराडा पूर्व सरपंच रामलाल सोनी की पौत्री है। उन्होंने हाल ही 12वीं की परीक्षा पास की है और नीट की तैयारी कर रही थी। हादसे में अभी तक उदयपुर के 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें उदयपुर गोगुंदा निवासी ललित सोनी (48) का शव रविवार शाम को मिला।

हादसे में सिरोही के सेंट्रल को.आपरेटिव बैंक के सीनियर मैनेजर भी घायल हुई। हादसे के चौथे दिन रविवार शाम को उदयपुर के गोगुंदा निवासी ललित सोनी का शव मिल गया है। उनका शव घटना स्थल से 150 किलोमीटर दूर हरिद्वार के कनखल में मिला। शव संभतय: सोमवार तक उदयपुर पहुंचेगा। ललित सोनी की बेटी मयूरी और मौली अभी तक लापता हैं। हादसे में ललित सोनी की पत्नी हेमलता गंभीर घायल हो गई थी, जिन्हें एयर एंबुलेंस से ऋषिकेश पहुंचाया गया था। अभी हेमलता सोनी ऋषिकेश एम्स में भर्ती है।

बनास नदी में डूबने से दो बालकों की मौत

मांडलगढ़, (निसं)। बीगोद थाना क्षेत्र में खेरपुरा के पास बनास नदी में डूबने से दो बालकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बजरी माफ़िया ने बनास नदी में बड़े और गहरे गड्ढे कर अवैध बजरी का खनन किया था। इन गड्ढों में बारिश का पानी भर गया। इसी पानी मे बच्चे नहाने गए और हादसे का शिकार हो गए। खेरपुरा गांव में बनास नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों को अचेत हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीगोद पर लाया गया। जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल रैफर किया।

बीगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान ने बताया कि खेरपुरा गांव के यहां बनास नदी में नहाने के दौरान मोहम्मद अरसलान पिता आमीन लुहार निवासी गुलमंडी भीलवाड़ा और मोहम्मद मुकीम पिता अब्दुल हमीद मेव हाल मुकाम खेरपुरा निवासी हरियाणा की डूबने से मौत हो गई।

अ.भा. बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया रेप केस में गिरफ्तार

हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र बूड़िया को रेप केस में जोधपुर से गिरफ्तार किया

- बूड़िया पर जनवरी में हिसार के आदमपुर थाने में 20 वर्षीय युवती ने रेप केस दर्ज कराया था

जोधपुर, (कासं)। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया को हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच ने रेप केस में जोधपुर से गिरफ्तार किया है। बूड़िया पर 24 जनवरी 2025 को हिसार के आदमपुर थाने में 20 वर्षीय युवती ने रेप केस दर्ज करवाया था।

गिरफ्तारी के बाद बूड़िया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि 25 जून को मुक्ति धाम मुकाम में लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए आज स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा के आईओ पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में जांच में सहयोग के लिए उपस्थित हुआ, ताकि मेरे खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। जोधपुर के रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि देवेंद्र बूड़िया को हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इसके लिए हरियाणा की पुलिस ने स्थानीय पुलिस को सूचित करके जाब्ता मांगा था।

बूड़िया अग्रिम जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन राहत नहीं मिली। इस बीच हिसार पुलिस लगातार देवेंद्र बूड़िया की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान में दबिश देती रही। 14 मार्च को बूड़िया के पीए कल्पेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीए को 4 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।

फर्जी आइडी बनाकर धोखाधड़ी की : उदयपुर के पांच सितारा होटल के नाम से फर्जी आइडी बना कर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र स्थित पांच सितारा होटल लेकेण्ड व्यू अलकापुरी के रिजर्वेशन मैनेजर प्रदीक व्यास पुत्र हेतनारायण व्यास ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि अज्ञात बदमाश होटल के नाम से फर्जी आइडी बनाकर ग्राहकों व होटल प्रबंधन के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इस मामले में साईबर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

एनिकट में डूबने से युवक की मौत

उदयपुर, (निसं)। शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र में एनिकट में डूबने से युवक की मौत हो गई।

नाई थाना क्षेत्र अलसीगढ़ के समीप स्थित कालीवास एनीकट में डूबने से हिरणमगरी सेक्टर 4 निवासी लवकुमार जोशी (22) पुत्र अरूण जोशी की मौत हो गई। लवकुमार पढ़ाई करता था एवं रविवार सवेरे दोस्तों के साथ घर से निकला था। दोपहर में संपर्क नहीं होने से परिजन तलाश में निकले थे। इधर सूचना मिलने पर नाई थाना पुलिस ने एवं सिविल डिफेंस की टीम ने उसे बाहर निकाला। जहां एएसआई पर्वतसिंह ने उसे उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। इधर लव से संपर्क नहीं होने पर तलाश में निकले परिजन मोर्चरी पहुंचे। जहां अरूण ने मृतक की अपने पुत्र लवकुमार जोशी के रूप में शिनाख्त की। मृतक का सोमवार को पोस्टमार्टम होगा।

टैक्सी में मृत पशु के अवशेष मिलने पर लोगों में रोष

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के झंवर रोड पर टैक्सी में मृत पशु के अवशेष मिलने पर लोगों में रोष फैल गया। भीड़ होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौजूद लोगों से समझाइश की।

लोगों ने बताया कि झंवर के गंगाना रोड पर बुझावड़ के पास एक टैक्सी में कुछ कट्टे भरे हुए थे। मौके से निकले तो एक टैक्सी चालक सड़क पर बिखरे कुछ मांस के टुकड़ों को कट्टों में भर रहा था। संदेह होने पर उससे पूछताछ की। इसमें सामने आया कि इन कट्टों को माचिया सफारी पार्क ले जाया जा रहा है।

मामले में लोगों ने डीएफओ को फोन कर किया तो उन्होंने माचिया सफारी पार्क में ऐसी कोई टैक्सी मंगवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोग धरने पर बैठ गए और जांच की मांग की। सूचना मिलने के बाद एसीपी प्रताप नगर रविंद्र बोथरा राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों से समझाइश की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

सरकारी जमीन का फर्जी आवंटन करने के मामले की जांच पूरी नहीं

8122 बीघा जमीन खुर्दबुर्द करने में सस्पेंड 29 अफसर व कर्मियों को जांच से पहले ही फील्ड पोस्टिंग दी

बीकानेर, (निसं)। यहां पूगल और छत्तरगढ़ में 8122 बीघा सरकारी जमीन का फर्जी आवंटन करने के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में निलंबित किए गए दो आरएएस सहित 29 अधिकारियों-कर्मचारियों को बहाल कर फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है।

सोलर कंपनियों से मोटी कमाई करने के लिए पूगल में 2010 बीघा सरकारी जमीन 31 लोगों को आवंटित कर सरकार को लगभग 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। वहीं छत्तरगढ़ में 6112 बीघा सरकारी जमीन 101 लोगों को आवंटित कर 25 करोड़ का चूना सरकार को लगाया। दोनों तहसीलों में 132 काश्तकारों को फर्जी तरीके से जमीनें आवंटित कर दी गई। एसीबी की स्पेशल ब्रांच में इसे लेकर मार्च में दो अलग-अलग केस दर्ज हुए थे। अब तक प्रकरणों की जांच करने वाली कमेटी में प्रशिक्षु आईपीएस यक्ष चौधरी को छोड़ सभी के बयान हो चुके हैं। अब आरोपी लोक सेवकों और उसके बाद लाभार्थियों से पूछताछ होगी। इस मामले में दोनों आरएएस अधिकारियों सहित 33 अधिकारियों और कर्मचारियों निलंबित कर दिया गया, जिसमें से बाद में एक ही मृत्यु हो गई। चार रिटायर हो गए। हैरानी की बात ये है कि जांच खत्म होने के पहले ही सभी को बहाल कर फील्ड पोस्टिंग दे दी गई है। आरएएस सीता शर्मा आईसीडीएस कोटा में डीडी और मनोज खेमादा कुशलगढ़ एसडीएम हैं।

पटवारियों और भू अभिलेख निरीक्षकों के तीन-तीन इंक्रीमेंट रोक चार्जशीट जारी कर दी है। इन सभी को जिले में ही अन्य तहसीलों में फील्ड पोस्टिंग दी गई है। दोनों प्रकरणों की जांच प्रशिक्षु आरपीएस यक्ष चौधरी, डीएसओ सुभाष चौधरी, वरिष्ठ आरएएस अधिकारी मदनलाल नेहरा, सहायक राजस्व लेखाधिकारी श्रवण सिंह चारण, कपिल तंवर और लालचंद प्रजापत की कमेटी ने की थी। आरोप है कि तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने 55 साल पुराने आवंटन आदेशों की आड़ में मृत व्यक्तियों की तथा खारिज हो चुकी जमीनें शुद्धि पत्रों के जरिए फर्जी तरीके से आवंटित कर दी।

छत्तरगढ़ के मामले में सुरेंद्र कुमार जाखड़ सेवानिवृत्त तहसीलदार, कुलदीप कस्वां तहसीलदार, दिप्ती तहसीलदार, राजेश कुमार नायब तहसीलदार, सरवरदीन भू-अभिलेख निरीक्षक, मकसूद अली भू-अभिलेख निरीक्षक, सुभाष चंद्र भू-अभिलेख निरीक्षक, मुकेश गोदारा भू-अभिलेख निरीक्षक, जसवीर सिंह पटवारी, सुरेंद्र कुमार भू-अभिलेख निरीक्षक, राजकुमार मीणा पटवारी, वीरेंद्र सिंह पटवारी, अजेन्द्र सिंह भाटी पटवारी, जयसिंह गुर्जर पटवारी, देवराजसिंह पटवारी, विकास पूनिया पटवारी, अनिता शर्मा पटवारी, पेमाराम सारण पटवारी व अन्य है।

पूगल के प्रकरण में उपखंड अधिकारी सीता शर्मा और मनोज खेमदा, रामेश्वरलाल गढ़वाल राजस्व तहसीलदार, आदित्या तहसीलदार, कालूराम तहसीलदार, महेंद्र सिंह मुवाल तहसीलदार, राजेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार, इकबाल सिंह भू अभिलेख निरीक्षक, जयसिंह चौहान भू अभिलेख निरीक्षक, भंवरलाल मेघवाल ऑफिस कानूनगो, राजेंद्र स्वामी पटवारी, विकास पूनिया पटवारी, लूणाराम पटवारी, मांगीलाल पटवारी। राजस्थान भू राजस्व नियम 1970 के अनुसार तत्कालीन उपखंड अधिकारी बीकानेर उत्तर द्वारा वर्ष 1971 और उसके बाद भूमिहीन श्रेणी के काश्तकारों को कृषि के लिए 10 साल के लिए के लिए गैर खातेदारी श्रेणी में आवंटन किया गया था। इस श्रेणी के आवंटियों को खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान था। आवंटियों को नियमानुसार आवंटित भूमि का कब्जा व गैर खातेदार, खातेदार की प्रविष्टियां रिकॉर्ड में अंकित की जा चुकी थी। इसके चलते आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने वाले आवंटियों के आवंटन भी निरस्त कर दिए गए। नियमों के तहत आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लेने वालों की जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में संरक्षित रही हैं। इन गांवों का भू-सर्वेक्षण, भू-प्रबंध वर्ष 1990-92 तक होने पर खसरा नंबर, खसरा मानचित्र व भूमि की ईकाई में परिवर्तन हो चुका है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड इसी के अनुसार है। इन गांवों की सरकारी जमीनों को सरकारी खाते से हटाकर तथाकथित व्यक्तियों के नाम से पूर्व अवधि के आवंटन आदेशों की फर्जी तरीके से नकलें बनाई।

अवैध रूप से भंडारित नीम कोटेड यूरिया के 52 कट्टे जब्त

बिना लाइसेंस दुकान में रखे कट्टे जब्त, नीम कोटेड यूरिया का नमूना जांच के लिए भेजा

- कुचील गांव में कृषि विभाग ने फिर बिना लाइसेंस यूरिया भंडारण करने के खिलाफ कार्रवाई की
- महावीर प्रसाद ओझा की दुकान से चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स गड़ेपान कोटा प्लांट से निर्मित यूरिया के कट्टे पाए गए, जिनका कोई वैध लाइसेंस नहीं था

अजमेर/किशनगढ़-मदनगंज, (कासं)। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा द्वारा किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र में अवैध व नकली यूरिया बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद से ही किशनगढ़ में कृषि विभाग की कार्रवाई जारी है। कुचील गांव में कृषि विभाग ने फिर बिना लाइसेंस यूरिया भंडारण करने के खिलाफ कार्रवाई की है। कृषि विभाग द्वारा खरीफ सीजन को देखते हुए चलाए जा रहे गुण नियंत्रण अभियान के तहत अवैध रूप से भंडारित नीम कोटेड यूरिया के 52 कट्टों को जब्त कर नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं।

कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक अनिल कुमार गुर्जर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुचील के मुख्य बाजार में महावीर प्रसाद ओझा की दुकान से चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स गड़ेपान कोटा प्लांट से निर्मित यूरिया के कट्टे पाए गए, जिनका विक्रेता के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। मौके से एक यूरिया का नमूना लेकर उसे जांच के लिए राजकीय उर्वरक परिक्षण प्रयोगशाला भिजवाया गया है। कार्रवाई के दौरान गांधीनगर थाना किशनगढ़ से पुलिस जाप्ता मौके पर तैनात रहा। कार्रवाई में विभाग की सहायक निदेशक अनुप्रिया यादव, सहायक निदेशक कृषि शिवलाल यादव, उर्वरक निरीक्षक अदिति माथुर, सहायक कृषि अधिकारी जगदीश धायल तथा कृषि पर्यवेक्षक निंबार्क तीर्थ व दीपा कुमावत मौजूद रहे।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) संजय तनेजा ने बताया कि यह कार्रवाई कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि बिना लाइसेंसधारी व्यक्ति से उर्वरक खरीद न करें, केवल बिल और आधार सत्यापित लाइसेंसशुदा दुकानों से ही उर्वरक खरीदें। यहां उल्लेखनीय है कि 28 व 29 मई को कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किशनगढ़ क्षेत्र की उर्वरक फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर नकली व मिलावटी उर्वरकों की बड़ी खेप जब्त की थी, जिसके बाद से विभाग की सख्त कार्रवाई जारी है।